भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/165
विवि.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 28 नवंबर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I -	**प्रारंभिक**	**4**
ए.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	4
बी.	प्रयोज्यता	4
सी.	परिभाषाएं	5
अध्याय II -	**सामान्य आवश्यकताएँ**	**10**
ए.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ	10
बी.	दबाव की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग	12
सी.	प्रकटीकरण	13
डी.	पर्यवेक्षी समीक्षा	13
अध्याय III -	**समाधान प्रक्रिया**	**14**
ए.	समीक्षा अवधि	14
बी.	अंतर-लेनदार करार	14
सी.	समाधान योजना	15
अध्याय IV -	**अतिरिक्त प्रावधान**	**19**
ए.	समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब- अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान	19
अध्याय V -	**पुनर्गठन पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंड**	**21**
ए.	प्रयोज्यता	21
बी.	पुनर्गठन के पश्चात आस्ति वर्गीकरण	21
सी.	अतिरिक्त वित्तपोषण	21
डी.	संतोषजनक निष्पादन के पश्चात आस्ति वर्गीकरण अपग्रेड	22
ई.	निगरानी अवधि के पश्चात उधारकर्ता द्वारा चूक	23
एफ.	पुनर्गठन के पश्चात प्रावधान	23
जी.	आय निर्धारण	25
एच.	स्वामित्व में परिवर्तन	25
अध्याय VI -	**पुनर्गठन के विशेष मामले**	**27**
ए.	बिक्री तथा पट्टा वापसी लेनदेन	27
बी.	एक्सपोज़र का पुनर्वित्तपोषण	27
सी.	वह उधारकर्ता जिन्होंने धोखाधड़ी / अपकरण / इरादतन चूक की है	27
डी.	समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते डालना	28
ई.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान	32
एफ.	कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएँ	32
अध्याय VII -	**सरकारी ऋण राहत योजनाएँ**	**39**

ए.	सरकारी ऋण राहत योजनाओं(डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निरूपण	39
अध्याय VIII -	**पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का विवेकपूर्ण निरूपण**	**42**
ए.	पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का आस्ति वर्गीकरण	42
बी.	पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों के संबंध में प्रावधान	42
सी.	पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का मूल्यांकन	42
डी.	पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों से आय का निर्धारण	44
अध्याय IX -	**विनियामकीय छूट**	**46**
ए.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों से छूट	46
बी.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों से छूट	46
अध्याय X -	**विशेष उपाय**	**48**
ए.	व्यापार राहत उपाय	48
अध्याय XI -	**निरसन और अन्य प्रावधान**	**49**
ए.	निरसन और बचत	49
बी.	अन्य कानूनों का लागू होना बाधित नही	49
सी.	व्याख्याएँ	50
अनुबंध		**51**

प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। चूंकि समझौता निपटान एक वैध समाधान योजना है, अत: इन निदेशों के द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने हेतु समझौता निपटान और तकनीकी बट्टा खातों संबंधी अनुदेशों को युक्तिसंगत और सुसंगत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निदेश अवसंरचना और गैर-अवसंरचना (जिसमें वाणिज्यिक स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा-आवासीय आवास शामिल हैं) क्षेत्र की परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन होने पर लागू होने वाले एकीकृत विनियामक निरूपण को निर्धारित करते हैं।

बैंक राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं(डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें राजकोषीय सहायता के बदले उधारकर्ताओं के एक विशिष्ट वर्ग के ऋण दायित्वों में कटौती अथवा छूट शामिल होती है। यदि ऐसी योजनाएं बार-बार, असंगत रूप से, अथवा वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का उचित ध्यान रखे बिना घोषित की जाती हैं, तो इनका ऋण अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दीर्घावधि में ऐसे उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। ऋण अनुशासन और नैतिक जोखिम के व्यापक निहितार्थों के अतिरक्ति, ऋण राहत योजनाओं से कुछ विवेकपूर्ण चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, जिनमें देय राशि की प्राप्ति में विलंब, बैंकों द्वारा स्वीकार/प्रस्तुत किए गए दावों और योजना की शर्तों के अनुसार संबंधित सरकार द्वारा स्वीकार किए गए दावों के बीच विसंगति और बैंकों द्वारा नए ऋण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता आदि शामिल हैं। इन निदेशों में डीआरएस में बैंकों की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांत भी निर्धारित किए किए गए हैं और एक मॉडल प्रचालन प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया हैं। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे।

तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

यह निदेश दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत विशिष्ट उधारकर्ताओं के विरुद्ध दिवालापन कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35एए के प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए जाने वाले विशिष्ट निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए जाते हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश तत्काल से प्रभावी हो जाएंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश वाणिज्यिक बैंकों (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, 'वाणिज्यिक बैंक' से आशय बैंकिंग कंपनियों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर), समतुल्य नए बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक से है, जैसा कि क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी), (डीए), और (एनसी) में परिभाषित है।

4. अध्याय III और अध्याय IV में निहित अनुदेश लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर लागू नहीं होंगे, जो दिनांक 17 मार्च, 2016 के परिपत्र सं. विसविवि.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित अनुदेशों के अंतर्गत आते हैं।
5. यह निदेश उन उधारकर्ता संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवालापन कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंकों को विशिष्ट निदेश जारी किए गए हैं अथवा किए जाते हैं। बैंक ऐसे मामलों का अनुसरण उन्हें जारी किए गए विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार करेंगे।

सी. परिभाषाएँ

6. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(1) *'समग्र एक्सपोज़र'*, इसमें सभी निधि और गैर-निधि-आधारित एक्सपोज़र, जिनमें निवेश एक्सपोज़र भी शामिल है, सम्मिलित होंगे।

(2) *'समझौता निपटान'*, उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा

स्पष्टीकरण: समझौता निपटान में उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों की संबंधित छूट के साथ बैंक की ओर से उधारकर्ता से देय राशि का कुछ त्याग हो सकता है

(3) *'क्रेडिट गतिविधि'*, कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि के घटित होने पर इसे हुआ माना जाएगा:

(i) किसी भी ऋणदाता के साथ चूक;
(ii) एक अथवा अधिक ऋणदाता द्वारा परियोजना की मूल/विस्तारित वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में विस्तार की आवश्यकता का निर्धारण करना;
(iii) मूल/विस्तारित डीसीसीओ की समाप्ति, जैसा भी मामला हो;
(iv) एक अथवा अधिक ऋणदाता द्वारा अतिरिक्त कर्ज की आवश्यकता का निर्धारण करना;
(v) परियोजना को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ना, जैसा कि पैरा 9 से 11 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(4) *'चूक'*, का अर्थ कर्ज़ (जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहित, 2016 के तहत परिभाषित है) का भुगतान न करने से है, जब कर्ज़ का पूरा अथवा कोई भी भाग अथवा किस्त अतिदेय और देय हो गई हो और उसे देनदार या कॉर्पोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा चुकाया न गया हो।

बशर्ते कि, नकद क्रेडिट जैसी आवर्ती सुविधाओं के लिए, उपरोक्त के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, 'चूक' का अर्थ यह भी होगा कि स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति,जो भी कम हो, से अधिक बकाया शेष लगातार तीस दिनों से अधिक बना रहे।

(5) *'निर्माण के दौरान ब्याज'*, का अर्थ उस ब्याज से है जो बैंक द्वारा प्रदान किए गए कर्ज़ पर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान अर्जित हुआ हो और जिसे पूंजीगत किया गया हो।

(6*) 'ऋणदाता'*, परियोजना वित्तपोषण के संदर्भ में, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी संस्था से है:

(i) एक वाणिज्यिक बैंक (जिसमें लघु वित्त बैंक (एसएफबी) शामिल हैं, लेकिन भुगतान बैंक (पीबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) शामिल नहीं हैं));

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) (जिसमें एक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) शामिल है);

(iii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;

(iv) अखिल भारतीय वित्तीय संस्था।

(7) *'परिसमापन मूल्य'*, इसका अर्थ संबंधित उधारकर्ता की आस्तियों के अनुमानित प्राप्य मूल्य से है, यदि ऐसे उधारकर्ता का समीक्षा अवधि की प्रारंभ तिथि को परिसमापन किया जाता।

(8) *'निगरानी अवधि',* का अर्थ उस अवधि से है जो समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक है जिस तक कि पुनर्गठन के भाग के रूप में स्वीकृत बकाया मूल ऋण और ब्याज पूंजीकरण के योग का कम से कम 10 प्रतिशत चुकाया जाता है।

(9) *'बकाया मूल ऋण,'* इसमें सभी ऋण सुविधाएँ शामिल होंगी, जिनमें ऋण/ऋण जैसे साधन (यथा, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर, गैर-परिवर्तनीय अधिमान शेयर आदि) शामिल हैं, जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद अस्तित्व में हैं।

स्पष्टीकरण: केवल इक्विटी और ऐसे लिखत जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं (बिना किसी अंतर्निहित वैकल्पिकता के), बकाया मूल ऋण निर्धारित करने से छूट प्राप्त होंगे।

(10) *'रेसिडुअल ऋण*, इसका अर्थ उस समग्र बकाया मूल ऋण से है जिसे प्रस्तावित समाधान योजना के अनुसार सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा धारित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(11) *'समाधान योजना',* कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संदर्भ में, इसका अर्थ एक परियोजना वित्त खाते में दबाव के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से सहमत, विधिक रूप से बाध्यकारी, व्यावहारिक और समयबद्ध योजना से है। समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई/योजना/पुनर्गठन शामिल हो सकती है, जो किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, देनदार संस्था द्वारा सभी अतिदेय राशियों के भुगतान द्वारा खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थानों/निवेशकों को एक्सपोज़र की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन, डीसीसीओ में विस्तार और पुनर्गठन शामिल हैं।

(12) *'पुनर्गठन'*, का अर्थ उस कार्य से है जिसमें कोई बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण: पुनर्गठन में सामान्यत: अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर, अन्य बातों के अतिरिक्त, भुगतान अवधि में कटौती / देय राशि/किश्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है; ऋण सुविधाओं का विस्तारण; चूक को ठीक करने/मौजूदा ऋण सीमाओं को बढ़ाने; चूक के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी / चूक खाते के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति; समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक हो जाता है।

(13) *'समीक्षा अवधि'* का अर्थ चूक या क्रेडिट की तारीख से तीस दिनों की अवधि से है, जैसा भी मामला हो,।

(14) *'संतोषजनक निष्पादन'*, का अर्थ है कि संबंधित अवधि के दौरान किसी भी समय उधारकर्ता संस्था की किसी भी विनिर्दिष्ट उधारदाता के साथ चूक नहीं हुई है।

बशर्ते कि उन एमएसएमई खातों के पुनर्गठन के मामले में जहाँ वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) का समग्र एक्सपोज़र 25 करोड़ रुपये से कम है, 'संतोषजनक निष्पादन' का अर्थ होगा:

(i) कोई भी भुगतान (ब्याज और/अथवा मूलधन) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया न रहे;

(ii) नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खाते के मामले में, खाते में बकाया राशि लगातार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(15) *'विनिर्दिष्ट उधारदाता'* का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी संस्था से है:

(i) वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी सहित, लेकिन पीबीs, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर);

(ii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्था;

(iii) जमा स्वीकार करने वाला एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर);

(iv) गैर-जमा स्वीकार करने वाला एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) जिसकी आस्ति का आकार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक हो।

(16) *'विनिर्दिष्ट अवधि'* का अर्थ उस अवधि से है जो समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक है जिस तक कि पुनर्गठन के भाग के रूप में स्वीकृत बकाया मूल ऋण और ब्याज पूंजीकरण के योग का कम से कम 20 प्रतिशत चुकाया जाता है।

बशर्ते कि आईबीसी के तहत पुनर्गठित खातों के लिए, विनिर्दिष्ट अवधि को समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से शुरू हुआ माना जाएगा जैसा कि न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बशर्ते यह भी कि उन एमएसएमई खातों के पुनर्गठन के मामले में जहाँ वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) का समग्र एक्सपोज़र 25 करोड़ रुपये से कम है, 'विनिर्दिष्ट अवधि' का तात्पर्य उस ऋण सुविधा पर ब्याज अथवा मूलधन की पहली किस्त के आरंभ (जो भी बाद में हो) से एक वर्ष की अवधि से होगा, जिसके तहत किसी विशिष्टबैंक के लिए पुनर्गठन पैकेज की शर्तों के अनुसार सबसे लंबी अधिस्थगन अवधि हो।

(17) *'वैकल्पिक ऋण सुविधा'*, इसका अर्थ उस आकस्मिक ऋण सुविधा से है जिसे परियोजना के निर्माण चरण के दौरान किसी भी लागत अतिभार को निधिक करने के लिए वित्तीय पूर्णता के समय परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया है।

(18) *'तकनीकी बट्टा खाते में डालना'*, का अर्थ उन मामलों से है जहाँ अनर्जक आस्तियाँ उधारकर्ता के ऋण खाते स्तर पर बकाया बनी रहती हैं, लेकिन बैंक द्वारा इन्हें केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए (पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से) बट्टा खाते में डाल दिया जाता है। ऐसी कार्रवाई में उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों में किसी प्रकार की छूट शामिल नहीं होती है और न ही इससे उधार वसूली के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

7. अन्य परिभाषाएँ, इन निदेशों में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025' में दिया गया है:
'नियुक्त तारीख, वाणिज्यिक स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा–आवास, निर्माण चरण, वित्तीय पूर्णता की तारीख, अवसंरचना क्षेत्र, वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की मूल तारीख, विस्तारित डीसीसीओ, वास्तविक डीसीसीओ, परियोजना, परियोजना वित्तपोषण।

8. अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक यहां इन निदेशों में परिभाषित न की गई हों उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें निम्नलिखित में से किसी में दिया गया है,जैसा भी मामला हो:

   बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; कंपनी अधिनियम, 2013; इनमें से किसी का भी कोई सांविधिक संशोधन अथवा पुनः पारित संस्करण; रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियम; रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'शब्दावली' अथवा वाणिज्यिक बोलचाल में जैसा कि प्रचलित हो।

अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ:

9. एक बैंक को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीतियां लागू करनी चाहिए, जिसमें समाधान के लिए समयसीमा के साथ-साथ वित्तीय कठिनाई के विभिन्न संकेतों पर विस्तृत नीतियां शामिल हों, जो वित्तीय कठिनाई को निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मापदंड प्रदान करें।
10. वित्तीय कठिनाई के संकेतों की एक गैर-विस्तृत संकेतक सूची, जो बासेल समिति के दिशा-निर्देशों 'समस्याग्रस्त आस्तियों का विवेकपूर्ण समाधान–अनर्जक एक्सपोज़र और रियायत की परिभाषाएं' पर आधारित है, संदर्भ के लिए नीचे प्रदान की गई है:

(1) फ्रेमवर्क में दी गई परिभाषा के अनुसार, चूक को चूक के कारणों को ध्यान में लिए बिना वित्तीय कठिनाई के संकेतक के रूप में माना जाएगा।

(2) एक उधारकर्ता जो चूक में नहीं है, लेकिन यह संभावना है कि रियायत के बिना उधारकर्ता निकट भविष्य में अपने किसी भी एक्सपोज़र पर चूक कर देगा, उदाहरण के लिए, जब इसके एक्सपोज़र पर भुगतान में चूक का एक पैटर्न रहा हो।

(3) एक उधारकर्ता के बकाया प्रतिभूतियों को सूची से हटा दिया गया है, अथवा सूची से हटाने की प्रक्रिया में हैं, अथवा सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुपालन न करने अथवा वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से सूची से हटाए जाने के खतरे में हैं।

(4) वास्तविक निष्पादन, अनुमान और पूर्वानुमान के आधार पर जो उधारकर्ता के संचालन के वर्तमान स्तर को शामिल करते हैं, उधारकर्ता के नकद प्रवाह को मौजूदा समझौते की संविदात्मक शर्तों के अनुसार निकट भविष्य के लिए सभी ऋणों अथवा ऋण प्रतिभूतियों (ब्याज और मूलधन दोनों) की सेवा के लिए अपर्याप्त माना जाता है।

(5) एक उधारकर्ता की साख सुविधाएं अनर्जक स्थिति में हैं अथवा रियायतों के बिना अनर्जक के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

(6) ऋणी की मौजूदा एक्सपोज़र को बैंक की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार ऐसे एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उधारकर्ता की चुकौती क्षमता में कठिनाई के स्पष्ट संकेत पहले ही मिल चुके हैं।

11. बैंक उपरोक्त वित्तीय कठिनाई के संकेतकों की गैर-विस्तृत सूची को प्रमुख वित्तीय अनुपातों और परिचालन मापदंडों से पूरक करेगा, जिनमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू शामिल हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण: किसी एक्सपोज़र पर बकाया राशि न होने पर भी वित्तीय कठिनाई की पहचान की जा सकती है।

12. बैंक को उधारकर्ताके साथ समझौता निपटान करने और तकनीकी बट्टेखाते करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू करनी होंगी, जिनमें कम से कम निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

    (1) सभी समझौता निपटान और तकनीकी बट्टेखातों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण, जिसमें न्यूनतम अवधि, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि जैसी आवश्यक पूर्व शर्तों पर विशिष्ट मार्गदर्शन शामिल हो;

    (2) ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी की जांच के लिए एक क्रमबद्ध फ्रेमवर्क, जिसमें बोर्ड द्वारा तय किए गए उचित सीमाएं और समय सीमाएं शामिल हों;

    (3) विभिन्न श्रेणियों की एक्सपोज़र के लिए अनुमेय त्याग से संबंधित प्रावधान, जहां उपलब्ध हो, संपार्श्विक/सुरक्षा के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद निपटान राशि निर्धारित की जाए;

    (4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने की पद्धति।

    (5) समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खातों के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

(i) ऐसे अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन उस प्राधिकारी (वैयक्तिक अथवा समिति, जैसी भी स्थिति हो) के पास होगा जो क्रेडिट/निवेश एक्सपोज़र को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर हो।

बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो ऋण को मंजूरी देने में शामिल था वैयक्तिक अथवा समिति के भाग के रूप में), वह उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को किसी भी हैसियत से अनुमोदित करने में शामिल नहीं होगा।

(ii) धारा 87-102 के अनुसार अनुमति प्राप्त धोखाधड़ी अथवा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत ऋणियों के संबंध में समझौता निपटान के प्रस्तावों को सभी मामलों में बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा।

13. बैंक को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समाप्त किए गए व्युत्पन्नी(डेरिवेटिव) अनुबंधों के क्रिस्टलाइज्ड मार्क टू मार्केट (बाज़ार भाव पर) मूल्य की किश्तों में भुगतान की अनुमति देने के लिए धारा 45 और 46 के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी होगी।

14. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की मजबूती और उसके परिणामों की जांच भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी निगरानी के भाग के रूप में की जाएगी।

बी. दबाव की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग

15. बैंक को ऋण खातों में उत्पन्न हो रहे प्रारंभिक दबाव को चूक होते ही पहचानना चाहिए और ऐसी आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार 'विशेष उल्लेख खाते'(एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए:

ऋण परिक्रामी सुविधाओं को छोड़कर		**परिक्रामी सुविधाओं की प्रकृति वाले ऋण जैसे नकद जमा/ओवरड्राफ्ट**	
एसएमए उप-श्रेणियां	**वर्गीकरण का आधार – मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान अथवा कोई अन्य राशि जो पूरी अथवा आंशिक रूप से अतिदेय है**	**एसएमए उप-श्रेणियां**	**वर्गीकरण का आधार – स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति जो भी कम हो, से अधिक शेष राशि निरंतर बनी रहने की अवधि:**
एसएमए-0	30 दिनों तक		
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

16. उधारकर्ता खातों को एसएमए श्रेणियों में वर्गीकृत करने संबंधी अनुदेश सभी ऋणों (जिनमें खुदरा ऋण भी शामिल हैं) पर लागू होंगे, सिवाय उन कृषि अग्रिमों के जो फसल मौसम आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा अभिशासित होते हैं। यह लागू होना बैंक के एक्सपोज़र के आकार से स्वतंत्र होगा।

17. बैंक को उन सभी उधारकर्ताओं के संबंध में, जिनका उनके पास कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक का एक्सपोज़र है, मासिक आधार पर ' बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को ऋण जानकारी, जिसमें खाते का एसएमए के रूप में वर्गीकरण भी शामिल है, रिपोर्ट करनी होगी।
18. बैंक को सभी उधारकर्ताओं (जिनका कुल एक्सपोज़र 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक है) द्वारा चूक की घटनाओं की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने तक अथवा यदि शुक्रवार को अवकाश हो तो पूर्ववर्ती कार्यदिवस को, प्रस्तुत करनी होगी।
19. बैंक को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 के तहत सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी जमा करने संबंधी प्रासंगिक प्रावधानों कापालन और संहिता तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना होगा।

सी. प्रकटीकरण

20. बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा टिप्पणियों' में उपयुक्त प्रकटीकरण करने होंगे।

डी. पर्यवेक्षी समीक्षा

21. यदि किसी बैंक द्वारा खातों की वास्तविक स्थिति को छिपाने अथवा दबावग्रस्त खातों को सदैव अच्छा दिखा के उद्देश्य से कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथाउचित समझे जाने वाले कठोर पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाईओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें ऐसे खातों पर उच्चतर प्रावधान और मौद्रिक दंड शामिल हो सकते हैं, लेकिनयह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
22. उपरोक्त पैरा 21 के तहत की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, बैंक/बैंकों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवालियापन आवेदन दायर करने का निदेश भी दिया जा सकता है।

अध्याय III - समाधान प्रक्रिया

ए. समीक्षा अवधि

23. जब किसी विनिर्दिष्ट ऋणदाता (एनबीएफसी को छोड़कर) द्वारा किसी उधारकर्ता को चूक में होने की रिपोर्ट दी जाती है, तो विनिर्दिष्ट ऋणदाता को समीक्षा अवधिके भीतर उधारकर्ता खाते की प्राथमिक दृष्टि से समीक्षा संयुक्त रूप से करनी चाहिए।
24. इस समीक्षा अवधि के दौरान, विनिर्दिष्ट ऋणदाता को संयुक्त रूप से समाधान कार्यनीति पर निर्णय लेना चाहिए, जिसमें समाधान योजना की प्रकृति, कार्यान्वयन का दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।
25. एक बैंक दिवालियापन अथवा वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू करने का विकल्प भी चुन सकता है।
26. चूंकि किसी भी ऋणदाताके साथ चूक उधारकर्ता द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय दबाव का एक विलंबित संकेतक है, इसलिए यह अपेक्षित है कि बैंक चूक होने से पहले ही समाधान योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दे।

बी. अंतर-लेनदार करार

27. उन मामलों में जहां समाधान योजना को लागू किया जाना है, सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाताको समीक्षा अवधि के दौरान एक अंतर-लेनदार समझौते में प्रवेश करना चाहिए, ताकि एक से अधिक विनिर्दिष्ट ऋणदातासे क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना के अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन के लिए मूल नियम निर्धारित किए जा सकें।
28. अंतर-लेनदार समझौते में यह प्रावधान होना चाहिए कि:
(1) कुल बकाया क्रेडिट सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के मूल्य के 75 प्रतिशत और हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या के 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सहमत कोई भी निर्णय सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा; और
(2) समाधान योजनाओं में असहमत हस्ताक्षरकर्ताओं (dissenting signatories) को देय परिसमापन मूल्य से कम भुगतान का प्रावधान नहीं होना चाहिए।
29. उपरोक्त पैरा 28 की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, अंतर-लेनदार समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों, असहमत हस्ताक्षरकर्ताओं के कर्तव्यों और अधिकारों के संरक्षण, नकद प्रवाह में प्राथमिकता वाले हस्ताक्षरकर्ताओं / विभेदक सुरक्षा हित वाले हस्ताक्षरकर्ताओं के उपचार आदि का प्रावधान होना चाहिए।

सी. समाधान योजना

30. एक समाधान योजना में किसी भी कार्य/योजना/पुनर्गठन को शामिल किया जा सकता है, जिसमें सीमित न होते हुए, ऋणी संस्था द्वारा सभी अतिसमय देयताओं का भुगतान करके खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोज़र की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन और पुनर्गठन शामिल हैं।
31. समाधान योजना को बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए (भले ही किसी भी नियम और शर्त में कोई परिवर्तन न हो)।
32. जिन खातों में विनिर्दिष्ट ऋणदाताका कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक का एक्सपोज़र है, उनके संबंध में पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल करने वाली समाधान योजना के लिए, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत साख-निर्धारण एजेंसियों द्वारा अवशिष्ट ऋण का स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन कराना आवश्यक होगा।
33. स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन के रूप में साख-निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले आरपी प्रतीकों की सूची और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं:

आईसीई प्रतीक	परिभाषा
आरपी 1	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में सुरक्षा की सर्वोच्च डिग्री वाले माने जाते हैं। ऐसे ऋण सुविधाएं/ लिखत न्यूनतम क्रेडिट जोखिम वहन करती हैं।
आरपी 2	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में सुरक्षा की उच्च डिग्री वाले माने जाते हैं। ऐसे ऋण सुविधाएं/ लिखत बहुत कम क्रेडिट जोखिम वहन करती हैं।
आरपी 3	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में सुरक्षा की पर्याप्त डिग्री वाले माने जाते हैं। ऐसे ऋण सुविधाएं/ लिखत कम क्रेडिट जोखिम वहन करती हैं।

आरपी 4	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में सुरक्षा की मध्यम डिग्री वाले माने जाते हैं। ऐसे ऋण सुविधाएं/ लिखत मध्यम क्रेडिट जोखिम वहन करती हैं।
आरपी 5	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में चूक के मध्यम जोखिम वाले माने जाते हैं।
आरपी 6	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में चूक के उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं।
आरपी 7	इस प्रतीक वाले ऋण सुविधाएं/ लिखत वित्तीय दायित्वों के समय पर सेवाकरण के संबंध में चूक के बहुत उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं।

34. जबकि 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोज़र वाले खातों के लिए दो ऐसे स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकनों की आवश्यकता होगी, अन्य के लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।
35. केवल उन्हीं समाधान योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें एक अथवा दो साख-निर्धारण एजेंसियों,जैसी भी स्थिति हो,से बेहतर 'रेसिड्यूअल ऋण के लिए अथवाआरपी4 का क्रेडिट राय प्राप्त हुआ हो।
36. यदि आवश्यक संख्या से अधिक साख-निर्धारण एजेंसियों से स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है, तो समाधान योजना को कार्यान्वयन के लिए विचार किए जाने के लिए ऐसे सभी स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन राय आरपी4 अथवा बेहतर होने चाहिए।
37. स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सीधे विनिर्दिष्ट ऋणदाताद्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसे कार्यों के लिए शुल्क का भुगतान विनिर्दिष्ट ऋणदाताद्वारा किया जाएगा।
38. जिस अवधि के दौरान समाधान योजना (आरपी) को अंतिम रूप और लागू किया जा रहा है, उस दौरान इस निदेश के अध्याय IV की अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इस आधार पर कि आरपी पर विचार किया जा रहा है, आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका जाना चाहिए।
39. उन उधारकर्ताओं के संबंध में जिनके पास एक या अधिक निर्दिष्ट लेनदारों का क्रेडिट एक्सपोज़र बना हुआ है, एक समाधान योजना को केवल तभी 'लागू' (implemented) माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(1) ऐसी समाधान योजना जिसमें पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल नहीं है, उसे केवल तभी लागू माना जाएगा यदि समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180वें दिन तक ऋणी किसी भी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के साथ चूक में न हो। 180-दिवसीय अवधि के बाद की कोई भी चूक एक नई चूक मानी जाएगी, जिससे एक नई समीक्षा शुरू होगी।

(2) ऐसी समाधान योजना जिसमें पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है, उसे केवल तभी लागू

माना जाएगा यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

(i) संबंधित सभी दस्तावेज़ीकरण, जिसमें विनिर्दिष्ट ऋणदाता और ऋणी के बीच आवश्यक समझौतों का निष्पादन/प्रतिभूति भार का सृजन/प्रतिभूतियों का परिशोधन शामिल है, को लागू की जा रही समाधान योजना के अनुरूप संबंधित विनिर्दिष्ट ऋणदाता द्वारा पूरा कर लिया गया हो;

(ii) नई पूंजी संरचना और/अथवा मौजूदा ऋणों की नियमों और शर्तों में परिवर्तन सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाता और ऋणी की बही खातों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो गए हों; और,

(iii) किसी भी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के साथ ऋणी चूक में न हो।

40. समाधान योजना जिसमें विनिर्दिष्ट ऋणदाता द्वारा एक्सपोज़र को तीसरे पक्ष को सौंपकर एक्सपोज़र से बाहर निकलना शामिल है, अथवा वसूली कार्रवाई शामिल करने वाली समाधान योजना, केवल तभी लागू मानी जाएगी यदि ऋणी के प्रति एक्सपोज़र पूरी तरह से समाप्त हो गया हो।

41. 'संदर्भ तिथि' को अथवा उसके बाद विनिर्दिष्ट ऋणदाता के पास एक विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर के कुल एक्सपोज़र वाले खातों के संबंध में, समाधान योजना को समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए, जो निम्नलिखित के बाद शुरू नहीं होगी:

(1) संदर्भ तिथि, यदि संदर्भ तिथि को चूक में हो; अथवा

(2) संदर्भ तिथि के बाद पहली चूक की तिथि।

42. उपर्युक्त पैरा 41 के उद्देश्य के लिए संदर्भ तिथियां निम्नलिखित होंगी:

एनबीएफसी को छोड़कर अन्य विनिर्दिष्ट ऋणदाता के प्रति ऋणी का कुल एक्सपोज़र	**संदर्भ तिथि**
2000 करोड़ रुपये और उससे अधिक	07 जून 2019
1500 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 2000 करोड़ रुपये से कम	01 जनवरी 2020
1500 करोड़ रुपये से कम	यथासमय घोषित की जाएगी

43. 1,500 करोड़ रुपये से कम के कुल एक्सपोज़र वाले खातों के संबंध में, इन निदेशों के अध्याय IV के तहत निर्धारित आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी।

44. जहां एक व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संविदाएं का पुनर्गठन किया जाता है, वहां निम्नलिखित निदेश लागू होंगे:

(1) मूल संविदाएं के किसी भी पैरामीटर में कोई भी परिवर्तन पुनर्गठन माना जाएगा।

(2) पुनर्गठन की तिथि पर संविदाएं के मार्क-टू-मार्केट (बाज़ार भाव पर) मूल्य में परिवर्तन का नकद निपटान किया जाना चाहिए।

(3) व्युत्पन्नी(डेरिवेटिव) संविदाएं के पुनर्गठन को प्रचलित बाजार दरों पर किया जाना चाहिए, न कि ऑफ-मार्केट (बाज़ार से इतर भाव पर) दरों के आधार पर।

45. यदि कोई बैंक हेजिंग डेरिवेटिव संविदाएं के कल्पित एक्सपोज़र को कम करने के लिए ग्राहकों की वरीयता के आधार पर, परिपक्वता से पहले आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से एक व्युत्पन्न संविदाएं को समाप्त करता है, तो कल्पित एक्सपोज़र में इस तरह की कमी को डेरिवेटिव संविदाएं के पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि मूल संविदाएं के अन्य सभी पैरामीटर अपरिवर्तित रहें। एक्सपोज़र एक्सपोज़र

46. ऐसे मामलों में, यदि व्युत्पन्नी(डेरिवेटिव) संविदाएं का एमटीएम मूल्य नकद निपटान नहीं किया जाता है, तो बैंक ऐसे व्युत्पन्नी(डेरिवेटिव) संविदाएं (जिसमें विदेशी वायदा संविदाएं भी शामिल हैं) के क्रिस्टलीकृत एमटीएम मूल्य पर किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(1) बैंक किश्तों में चुकौती की अनुमति केवल तभी देगा जब ग्राहक द्वारा चुकौती की उचित निश्चितता हो।

(2) चुकौती की अवधि संविदा की परिपक्वता तिथि से आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

(3) क्रिस्टलीकृत एमटीएम (बाज़ार भाव पर) की चुकौती की किश्तें संविदा की शेष परिपक्वता अवधि के दौरान समान रूप से प्राप्त की जानी चाहिए और इसकी आवधिकता कम से कम तिमाही में एक बार होनी चाहिए।

अध्याय IV - अतिरिक्त प्रावधान

ए. समाधान योजनाना कार्यान्वयन में विलंब – अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान

47. जहां पैरा 39 और 40 में विनिर्दिष्ट ऋणकर्ता के संबंध में एक व्यवहार्य समाधान योजनाना नीचे दिए गए समयसीमा के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो ऋणकर्ता के प्रति एक्सपोज़र रखने वाले बैंक को निम्नानुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करने होंगे:

अर्थक्षम समाधान योजना के कार्यान्वयन की समय- सीमा	**यदि समय-सीमा के भीतर समाधान योजनको लागू नहीं किया जाता है, तो कुल बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के प्रतिशत के रूप में किए जाने वाले अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान**
समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180 दिन	20 प्रतिशत
समीक्षा अवधि की शुरुआत से 365 दिन	15 प्रतिशत (अर्थात कुल अतिरिक्त प्रावधान 35 प्रतिशत)

48. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान निम्नलिखित में से उच्चतर से ऊपर किए जाने होंगे, यह शर्त रहते हुए कि रखे गए कुल प्रावधान कुल बकाया का 100 प्रतिशत तक सीमित हों:

(1) पहले से रखे गए प्रावधान; अथवा,

(2) ऋणकर्ता खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान।

49. अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान उन मामलों में भी करने की आवश्यकता होगी जहां ऋणकर्ता के संबंध में वसूली कार्यवाही शुरू की गई है, जब तक कि वसूली कार्यवाही पूरी तरह से पूर्ण न हो जाए।

50. पैरा 47 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिवर्ती किया जा सकता है:

(1) जहां समाधान योजनामें केवल ऋणकर्ता द्वारा अतिसमय देयताओं का भुगतान शामिल है – अतिरिक्त प्रावधानों को केवल तभी प्रतिवर्ती किया जा सकता है यदि सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाता

के साथ अतिसमय देयताओं की निकासी की तारीख से छह महीने की अवधि तक ऋणकर्ता चूक में न हो;

(2) जहां समाधान योजना में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के बाहर पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है – समाधान योजना के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त प्रावधानों को प्रतिवर्ती हो सकता है;

(3) जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत समाधान का पीछा किया जा रहा है – दिवालियापन आवेदन करने पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का आधा भागा प्रतिवर्ती जा सकता है और शेष अतिरिक्त प्रावधानों को ऋणकर्ता के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में स्वीकार किए जाने पर प्रतिवर्ती जा सकता है; अथवा

(4) जहां ऋण समनुदेशन /वसूली कार्यवाही शुरू की गई है – ऋण के सौंपने/वसूली के पूरा होने पर अतिरिक्त प्रावधानों को प्रतिवर्ती किया जा सकता है।

अध्याय V - पुनर्गठन पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड

ए. प्रयोज्यता

51. इस अध्याय के प्रावधान सभी पुनर्गठनों पर लागू होंगे, जिनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए पुनर्गठन भी शामिल हैं।

बी. पुनर्गठन के बाद आस्ति वर्गीकरण

52. बैंक द्वारा पुनर्गठन किए जाने के बाद, 'मानक' वर्गीकृत खाते को तुरंत अनर्जक आस्तियों के रूप में श्रेणी को कम किया जाएगा अर्थात इसकी शुरुआत 'अवमानक श्रेणी' से होगी।
53. पुनर्गठन से पूर्व यदि कोई खाता अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत था, तो बैंक द्वारा पुनर्गठन किए जाने पर वह वही आस्ति वर्गीकरण बनाए रखेगा जो पुनर्गठन से पूर्व था।
54. उपरोक्त दोनों मामलों में, आस्ति वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में निहित मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार पुराने मानदंडों द्वारा संचालित होता रहेगा।

सी. अतिरिक्त वित्तपोषण

55. समाधान योजना के तहत अनुमोदित किसी भी अतिरिक्त वित्तपोषण (जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई भी योजना शामिल है) को बैंक द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तहत निगरानी अवधि के दौरान मानक आस्ति के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते खाते ने निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन दिखाया हो।

56. यदि पुनर्गठित आस्ति निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहती है अथवा निगरानी अवधि के अंत में उन्नयन के लिए योग्य नहीं होती है, तो अतिरिक्त वित्तपोषण को बैंक द्वारा पुनर्गठित ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा।

57. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 (15) में परिभाषित कोई भी अंतरिम वित्तपोषण, जो विनिर्दिष्ट ऋणदाता द्वारा उस संहिता के तहत दिवालियापन कार्यवाही से गुजर रहे उधारकर्ताओं को दिया गया है, को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में परिभाषित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान मानक आस्ति के रूप में माना जा सकता है।

डी. संतोषजनक निष्पादन के पश्चात आस्ति वर्गीकरण में अपग्रेड

58. बैंक द्वारा पुनर्गठन पर अनर्जक के रूप में वर्गीकृत मानक खातों और उसी श्रेणी में बने रहने वाले अनर्जक खातों को केवल तभी उन्नत किया जा सकता है जब निगरानी अवधि के दौरान सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के संबंध में खाते में सभी बकाया ऋण/क्रेडिट सुविधाएं 'संतोषजनक निष्पादन' दिखाएं।

बशर्ते कि खाते को समाधान योजना की शर्तों के तहत सबसे लंबे अधिस्थगन अवधि वाली क्रेडिट सुविधा पर ब्याज अथवा मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान की शुरुआत से एक वर्ष से पहले उन्नत नहीं किया जा सकता है।

59. पैरा 58 की आवश्यकता के बावजूद, एक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम खाते को केवल तभी 'मानक' में उन्नत करने के लिए विचार किया जा सकता है जहां वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) का कुल एक्सपोज़र 25 करोड़ रुपये से कम है, यदि वह उस विशेष बैंक के लिए निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक निष्पादन करता है।
60. पैरा 58 की आवश्यकता के अतिरिक्त, उन खातों के लिए जहां समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय विनिर्दिष्ट ऋणदाता का कुल एक्सपोज़र 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, उन्नयन के लिए योग्य होने हेतु संतोषजनक निष्पादन के अतिरिक्त, उन्नयन के समय उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से निर्धारण प्राप्त साख-निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड (बीबीबी- अथवा श्रेष्ठ) के रूप में रेट किया जाना चाहिए।

    बशर्ते कि 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोज़र वाले खातों के लिए दो रेटिंग की आवश्यकता होगी, उन खातों के लिए जो 500 करोड़ रुपये से कम हैं, एक रेटिंग की आवश्यकता होगी।

    बशर्ते यह भी कि यदि आवश्यक संख्या से अधिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त की जाती है, तो खाते के उन्नयन के लिए योग्य होने हेतु सभी ऐसी रेटिंग निवेश ग्रेड की होनी चाहिए।

    स्पष्टीकरण: दूसरी परंतुक में उल्लिखित ये रेटिंग साख-निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सामान्य रेटिंग होंगी, न कि पैरा 32 में निर्दिष्ट स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन।

61. यदि उधारकर्ता (एमएसएमई को छोड़कर) जहां वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी सहित, लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) का कुल एक्सपोज़र 25 करोड़ रुपये से कम है, निगरानी अवधि के दौरान सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के संबंध में संतोषजनक निष्पादन करने में विफल रहता है, तो आस्ति वर्गीकरण में उन्नयन इन निदेशों या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत नए पुनर्गठन/स्वामित्व में परिवर्तन के कार्यान्वयन के अधीन होगा।

ई. निगरानी अवधि के बाद उधारकर्ता द्वारा चूक

62. निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले, आस्ति वर्गीकरण में उन्नयन के बाद किसी भी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के साथ उधारकर्ता की किसी भी क्रेडिट सुविधा में कोई चूक, उस चूक के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर लागू किए जाने वाले नए समाधान योजना की आवश्यकता होगी।

एफ. पुनर्गठन के बाद प्रावधान

63. जिस खाते का पुनर्गठन किया गया है, वह भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार प्रावधान का ध्यानाकर्षित करेगा।
64. बैंक को पैरा 60 और 61 में उल्लिखित खाते के लिए समीक्षा अवधि के अंत में 15 प्रतिशत का अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान करना होगा।
65. पैरा 63 के अनुसार पुनर्गठित आस्तियों पर रखे गए विशिष्ट प्रावधानों को तब प्रतिवर्ती किया जा सकता है जब खातों को मानक श्रेणी में उन्नत किया जाता है।

66. पैरा 64 के तहत आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को, अन्य अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों के साथ, पैरा50 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिवर्ती किया जा सकता है।
67. दिवालियापन समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान, अंतरिम वित्तपोषण के लिए प्रावधन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 द्वारा संचालित होगा।
68. तत्पश्चात, न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर, ऐसे अंतरिम वित्तपोषण का उपचार पैरा 55 और 56 के अनुसार अतिरिक्त वित्तपोषण पर लागू मानदंडों के अनुसार होगा।

69. जिन उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम समाधान योजना को समाधान पेशेवर द्वारा न्यायिक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है (दिवाला और शोधन अक्षमतासंहिता, 2016 की धारा 30(6) के तहत), वहां बैंक योजना प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए या दिवाला संहिता की धारा 31(1) के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से नब्बे दिनों तक, जो भी पहले हो, उस तारीख तक रखे गए प्रावधानों को स्थिर रख सकता है।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां रखा गया प्रावधान अपेक्षित आवश्यक प्रावधान से कम है, बैंक को कमी की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करना होगा।

70. पैरा 69 के अनुसार प्रावधान की राशि को स्थिर करने की सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां न्यायिक प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने की तारीख को बैंक द्वारा रखा गया प्रावधान, ऋणदाताओं की समिति/न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की रूपरेखा और मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर सामान्य रूप से रखे जाने वाले अपेक्षित प्रावधान से अधिक है।

71. पैरा70 के बावजूद, बैंक को न्यायिक प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख को रखे गए अतिरिक्त प्रावधानों को इस चरण में प्रतिवर्ती नहीं करना चाहिए।

72. पैरा69 में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में दी गई आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

73. यदि न्यायिक प्राधिकरण इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना को अस्वीकार कर देता है, तो पैरा 69 में अनुमत प्रावधानों को स्थिर करने की सुविधा तुरंत समाप्त हो जाएगी, और ऐसे उधारकर्ता के संबंध में आस्ति वर्गीकरण मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा संचालित होता रहेगा।

जी. आय निर्धारण

74. 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में ब्याज आय को उपचित आधार पर मान्यता दी जा सकती है और अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में ब्याज आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।
75. उन खातों में अतिरिक्त वित्तपोषण के मामले में जहां पुनर्गठन से पूर्व की सुविधाओं को अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ब्याज आय को केवल नकद आधार पर निर्धारित की जाएगी, सिवाय इसके कि पुनर्गठन के साथ स्वामित्व में परिवर्तन शामिल हो।

एच. स्वामित्व में परिवर्तन

76. उधार लेने वाली इकाई के स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में, संबंधित उधार लेने वाली इकाइयों की क्रेडिट सुविधाओं को बैंक द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद, अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत अथवा इन निदेशों के तहत, 'मानक' के रूप में जारी रखा जा सकता है अथवा उनका उन्नयन किया जा सकता है।
77. यदि स्वामित्व में परिवर्तन इन निदेशों के तहत लागू किया जाता है, तो 'मानक' वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

    (1) बैंक को इस संबंध में समुचित सावधानी बरतनी होगी और स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना होगा कि अधिग्रहणकर्ता दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के संदर्भ में अयोग्य वैयक्तिक नहीं है।

    (2) बैंक को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना होगा कि 'नया प्रवर्तक' मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह (जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 में परिभाषित है) से कोई वैयक्तिक/इकाई/सहायक कंपनी/सहयोगी आदि (घरेलू और विदेशी दोनों) नहीं है।

    (3) नए प्रवर्तक ने उधारकर्ता इकाई की चुकता इक्विटी पूंजी और मतदान अधिकारों का कम से कम 26 प्रतिशत अधिग्रहित किया होगा और वह उधारकर्ता इकाई का एकल सबसे बड़ा शेयरधारक होगा।

    (4) नया प्रवर्तक कंपनी अधिनियम, 2013 / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों / किसी अन्य लागू विनियमों / लेखा मानकों, जैसा भी मामला हो, में 'नियंत्रण' की परिभाषा के अनुसार उधारकर्ता इकाई के 'नियंत्रण' में होगा।

    (5) पैरा 36 के अनुसार समाधान योजना के कार्यान्वयन की शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

78. स्वामित्व में परिवर्तन के बाद, उधार लेने वाली इकाई की सभी बकाया ऋण/क्रेडिट सुविधाओं को निगरानी अवधि के दौरान सभी विनिर्दिष्ट ऋणदाता के संबंध में संतोषजनक 'निष्पादन करना होगा।
79. यदि निगरानी अवधि के दौरान किसी भी समय खाता संतोषजनक निष्पादन करने में विफल रहता है, तो यह एक नई समीक्षा अवधि को उत्प्रेरक करेगा।
80. उधार लेने वाली इकाइयों के स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख को बैंक द्वारा उक्त खाते के समक्ष रखे गए प्रावधानों की राशि (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) को केवल निगरानी अवधि के समाप्त होने के बाद ही प्रतिवर्ती किया जा सकता है, बशर्ते उसी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन रहा हो।

81. यदि प्रमोटरों के शेयरों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के तहत अनिवार्य अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में बैंक के साथ गिरवी रखा गया है और कंपनी द्वारा चूक के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अवरुद्धता (लॉक-इन)अवधि के दौरान गिरवी का प्रवर्तन किया जाता है, तो ऐसे शेयरों को बैंक को अंतरित किया जा सकता है, लेकिन शेष अवरुद्धता (लॉक-इन)अवधि के लिए वह बैंक के पास अवरुद्धता (लॉक-इन)के अधीन रहेंगे।

अध्याय VI - पुनर्गठन के विशेष मामले

ए. बिक्री तथा पट्टा वापसी लेनदेन

82. किसी उधारकर्ता की आस्तियों का बिक्री और पट्टा वापसी लेनदेन अथवा इसी प्रकृति के अन्य लेनदेन को, बैंक की बही में विक्रेता के शेष ऋण और खरीदार के ऋण दोनों के संबंध में, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के उद्देश्य से पुनर्गठन की घटना माना जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:
(1) आस्तियों का विक्रेता वित्तीय कठिनाई में हो;
(2) खरीदार की उस विशिष्ट आस्ति से होने वाली आय का महत्वपूर्ण भाग, अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक, विक्रेता से होने वाले नकद प्रवाह पर निर्भर हो; और
(3) खरीदार द्वारा उस विशिष्ट आस्ति की खरीद के लिए ऋण का 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भाग उन ऋणदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया गया हो जिनका पहले से ही विक्रेता पर क्रेडिट एक्सपोज़र हो।

बी. एक्सपोज़र का पुनर्वित्तपोषण

83. यदि उधार/निर्यात अग्रिम (किसी भी मुद्रा में, जहां अनुमति हो) का उद्देश्य समान अथवा अन्य मुद्रा में नामित ऋणों की चुकौती/पुनर्वित्तपोषण करना है:

(1) भारतीय बैंकिंग प्रणाली का भाग किसी ऋणदाता से (जहां अनुमति हो); अथवा

(2) गारंटी / वैकल्पिक साखपत्र /चुकौती आश्वासन पत्र आदि के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समर्थन के साथ (जहां अनुमति हो), तो ऐसी घटनाओं को बैंक द्वारा 'पुनर्गठन' माना जाएगा यदि संबंधित उधारकर्ता वित्तीय कठिनाई में हो।

सी. वह उधारकर्ता जिन्होंने धोखाधड़ी/अपकरण /इरादतन चूक की है

84. वह उधारकर्ता जिन्होंने धोखाधड़ी/अपकरण/ इरादतन चूक की है, साथ ही कोई भी ऐसी इकाई जिससे एक इरादतन चूककर्ता संबद्ध है, पुनर्गठन के लिए अपात्र रहेंगे।

85. हालांकि, उन मामलों में जहां मौजूदा प्रमोटरों को पैरा 77 के उप-पैरा (1) से (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले नए प्रवर्तकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और उधारकर्ता कंपनी को ऐसे पूर्व प्रवर्तकों/प्रबंधन से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, वहां बैंक अपनी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकता है, बिना पूर्व प्रवर्तकों/प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई जारी रखने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले।
86. एक इरादतन चूककर्ता अथवा कोई भी ऐसी इकाई जिससे एक इरादतन चूककर्ता संबद्ध है, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से उसका नाम हटाए जाने के बाद पुनर्गठन के लिए पात्र होगा, यह उन दंडात्मक उपायों के अधीन रहेगा जो भारततीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई) निदेश, 2025 के तहत इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू होते हैं।

डी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते डालना

87. समझौता निपटान का उद्देश्य बैंक के उत्तम हित में, न्यूनतम व्यय पर दबावग्रस्त उधारकर्ता से संभव अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना होगा।

88. समझौता निपटान उधारकर्ताओं को एक अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह बैंक द्वारा अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर प्रयोग किया जानेवाला विवेकाधिकार है।

89. बैंक और उधारकर्ता के बीच समझौता निपटान और तकनीकी बट्टा खाते में डालने वाले भविष्य की आकस्मिक वसूली या प्राप्ति से संबंधित किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

    बशर्ते कि ऐसे दावों को निपटान के समय अथवा बाद में ऐसी प्राप्तियों की वास्तविक वसूली तक बैंक की तुलन पत्र में किसी भी प्रकार निर्धारण न दी जाए।

बशर्तेः यदि बैंक के तुलन पत्र में ऐसे किसी भी दावे का निर्धारण किया जाताहै, तो उस व्यवस्था को पुनर्गठन माना जाएगा।

90. पैरा 89 के बावजूद, वह समझौता निपटान जहां सहमत निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक है, उन्हें पुनर्गठन माना जाएगा।

91. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान शामिल करने वाली कोई भी व्यवस्था भी पुनर्गठन की परिभाषा के अंतर्गत आएगी और इसके लिए लागू प्रावधानों द्वारा संचालित की जाएगी।

92. तकनीकी बट्टा खाता एक लेखांकन प्रक्रिया है जो बैंक द्वारा उन खराब ऋणों को तुलन पत्र से हटाने के लिए की जाती है जिन्हें वसूल न किया जा सकने वाला माना जाता है या जिनकी वसूली में ऋणदाताओं के असमानुपातिक संसाधन खर्च होने की संभावना होती है। हालांकि, ऐसे तकनीकी बट्टा खातों का अर्थ उधारकर्ता के विरुद्ध दावों में कोई छूट नहीं है और इस प्रकार बैंक के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाएगा। तकनीकी बट्टा खाते की स्थिति की तुलना में उधारकर्ताओं की कानूनी बाध्यता और ऐसी चूक के लिए उनकी लागत अपरिवर्तित रहती है।

93. आंशिक तकनीकी बट्टा खातों के मामले में, रेसिडुअल एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण आवश्यकताएं, जिनमें प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण शामिल हैं, मूल एक्सपोज़र के संदर्भ में होंगी।

    बशर्ते कि प्रावधान की राशि, जिसमें आंशिक तकनीकी बट्टा खाते का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि शामिल है, आस्ति के सकल मूल्य पर गणना किए गए अनुसार, मौजूदा प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

94. किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टा खातों के संबंध में, कम से कम तिमाही आधार पर, अगले उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्टिंग तंत्र होगा।

    बशर्ते कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी/बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टा खातों की रिपोर्ट बोर्ड को दी जाएगी।

95. बोर्ड एक उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि न्यूनतम रूप से निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:

    (1) समझौता निपटान और/अथवा तकनीकी बट्टा खाते के अधीन किए गए खातों की संख्या और राशि में रुझान (तिमाही-दर-तिमाही और वर्ष-दर-वर्ष);

(2) उपरोक्त (1) में से, धोखाधड़ी, सावधानीसूचक संकेत(रेड फ्लैग), इरादतन चूक और त्वरित मृत्यु खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विवरण;

(3) ऐसे खातों का राशि-वार, मंजूरी प्राधिकारी-वार, और कारोबार खंड/आस्ति वर्ग-वार समूहीकरण;

(4) तकनीकी रूप से बट्टा खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा।

96. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं को नए एक्सपोज़र मानने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार एक कूलिंग अवधि होगी।

बशर्ते यह कि कृषि ऋण एक्सपोज़र को छोड़कर अन्य एक्सपोज़र के संबंध में शीतलन अवधि 12 महीने की न्यूनतम सीमा के अधीन होगी, जिसमें बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार उच्च शीतलन अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बशर्ते यह कि कृषि ऋण एक्सपोज़र के लिए विराम अवधि बैंक द्वारा अपनी संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त उद्देश्य के लिए कृषि ऋण से तात्पर्य उन कृषि गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में सूचीबद्ध हैं।

97. तकनीकी बट्टा खाते के अधीन किए गए एक्सपोज़र के संबंध में अपनाई जाने वाली विराम अवधि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी।
98. बैंक, ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इरादतन चूककर्ताओं अथवा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान अथवा तकनीकी बट्टा खाता कर सकता है।
99. वह दंडात्मक उपाय जो भारततीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 और भारततीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई) निदेश, 2025 के तहत क्रमशः धोखाधड़ी अथवा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू होते हैं, ऐसे मामलों में भी लागू रहेंगे जहां बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान में प्रवेश करता है, और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पैरा 96 और 97 में विनिर्दिष्ट कूलिंग अवधियां ऐसे दंडात्मक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी।

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न 1: लोकनीति के दृष्टिकोण से, धोखेबाज अथवा *इरादतनर चूक करने वाले उधारीकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने की अनुमति बैंक को देने का औचित्य क्या है?*

प्रमुख विनियामक उद्देश्य बैंक को बकाया राशि की वसूली के लिए बिना अधिक विलंब के एकाधिक मार्ग प्रदान करना है। अत्यधिक विलंब से न केवल मुद्रा के समय-मूल्य में हानि होती है, बल्कि आस्ति के मूल्य में भी गिरावट आती है, जो अंतिम वसूली में बाधक होती है। इन निदेशों के तहत समझौता निपटान को एक वैध समाधान तंत्र के रूप में निर्धारण दी गई है। धोखेबाज अथवा *इरादतन चूक करने वाले उधारीकर्ताओं से वसूली के मामले में बैंक के लिए आवश्यकताएं भिन्न नहीं हैं। कानूनी कार्यवाही के*

कारण ऐसे एक्सपोज़र को बैंक की तुलन पत्र में बिना किसी समाधान के बनाए रखने से बैंक की निधियां अनुत्पादक आस्ति में अवरुद्ध हो जाएंगी, जो कि एक वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़ी नीतिगत चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की लागत दोषियों पर डाली जाती है, तब तक सावधानियों के अधीन बैंक द्वारा शीघ्र वसूली को वरीयता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, धोखेबाज अथवा इरादतन चूक करने वाले उधारीकर्ताओं के विरुद्ध चल रही अथवा की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य के दोषी बिना सजा के न बचें।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न 2: धोखेबाज अथवा इरादतन चूक करने वाले उधारीकर्ताओं के खातों का पुनर्गठन करने की बैंक को अनुमति नहीं है, सिवाय स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति के। तो फिर ऐसे उधारीकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए भिन्न व्यवस्था क्यों निर्धारित की गई है?

सामान्यतः पुनर्गठन का तात्पर्य है कि पुनर्गठन के बाद भी बैंक का उधारीकर्ता इकाई के साथ निरंतर एक्सपोज़र बना रहे। अतः, धोखेबाज अथवा इरादतन चूक करने वाले उधारीकर्ताओं के मामले में, बैंक को उधारीकर्ता इकाई के साथ अपने ऋण संबंध को जारी रखने की अनुमति देना नैतिक जोखिम से भरा होगा। दूसरी ओर, समझौता निपटान का तात्पर्य बैंक और उधारीकर्ता के बीच पूर्ण अलगाव है। इसलिए, बैंक को अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार उधारीकर्ताओं के साथ निपटान करने की अनुमति देने से वसूली की संभावनाएं बढ़ेंगी।

100. इन निदेशों के तहत उधारीकर्ताओं के साथ किए गए समझौता निपटान, लागू किसी भी अन्य विधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

101. जहां कहीं भी बैंक ने किसी न्यायिक मंच के तहत वसूली कार्यवाही प्रारंभ की है और वह ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, वहां उधारीकर्ता के साथ किए गए किसी भी निपटान के लिए संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

102. पैरा 87 से 101 में निहित आवश्यकताओं के अतिरिक्त, लोक अदालतों के माध्यम से बैंक द्वारा किए गए समझौता निपटान के मामलों में निम्नलिखित लागू होंगे:

(1) सिविल न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भेजे जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये होगी।

(2) बैंक को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के मामलों के समाधान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भाग लेने की अनुमति है।

(3) बैंक को 10 लाख रुपये से कम के वैयक्तिक ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण अथवा आवास ऋण की वसूली के लिए लोक अदालत के मंच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ई. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान

103. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणों के पुनर्गठन में भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2018, यथासमय संशोधित, में निहित निदेशों का पालन किया जाएगा, जिसमें आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं।

एफ. कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएं

104. पैरा 106 से 121 में निहित निदेश उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए 1 अक्तूबर, 2025 तक वित्तीय पूर्णता प्राप्त हो चुका है। ऐसी परियोजनाओं के लिए 1 अक्तूबर, 2025 से पूर्व प्रचलित परियोजना वित्तपोषण पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश लागू होंगे जिन्हें अन्यथा निरस्त माना जाएगा।
105. पैरा 104 के निर्देशों के बावजूद, 1 अक्तूबर 2025 को अथवा उसके बाद ऐसी परियोजनाओं में किसी नए ऋण घटना का समाधान और/अथवा ऋण अनुबंध में सामग्री शर्तों और स्थितियों में कोई भी परिवर्तन, पैराग् 106 से 121 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
106. बैंक को परियोजना के निष्पादन और किसी भी दबाव के निर्माण की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और उसे समय रहते एक समाधान योजना शुरू करने की अपेक्षा की जाएगी।
107. निर्माण चरण के दौरान किसी भी ऋणदाता के साथ ऋण घटना के घटित होने पर, इन निदेशों के अध्याय III के तहत सामूहिक समाधान शुरू होगा।

 स्पष्टीकरण: परियोजना वित्त खातों के उद्देश्य के लिए, इन निदेशों के अध्याय III में 'चूक' का उल्लेख 'ऋण घटना' के रूप में पढ़ा जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

108. बैंक के साथ ऐसी किसी भी ऋण घटना की रिपोर्ट बैंक द्वारा निर्धारित साप्ताहिक रिपोर्ट और सीआरआईएलसी-मुख्य रिपोर्ट में, पैरा 17 और 18 के अनुपालन में, बड़े ऋणों पर जानकारी के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को दी जाएगी।
109. कोई भी बैंक, जो कंसोर्टियम/एकाधिक ऋण व्यवस्था का हिस्सा है, उसे कंसोर्टियम/एकाधिक ऋण व्यवस्था के सभी अन्य सदस्यों को भी ऐसी ऋण घटना की रिपोर्ट करनी होगी।
110. पैरा 108 के अनुसार सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग पर अनुदेश समय पर जारी किए जाएंगे।
111. बैंक को समीक्षा अवधि के दौरान उधारीकर्ता खाते की प्राथमिक दृष्ट्या समीक्षा करनी होगी।
112. समीक्षा अवधि के दौरान बैंक का आचरण, जिसमें अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना और जहां आवश्यक हो, समाधान योजना को लागू करने का निर्णय लेना शामिल है, इन निदेशों के अध्याय III द्वारा संचालित होगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
113. यदि किसी परियोजना वित्त खाते में, जिसे मानक' वर्गीकृत किया गया है और जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में परियोजना वित्त के स्वीकृति, वितरण और निगरानी के लिए विनिर्दिष्ट सभी संबंधित सावधानीगत शर्तों को पूरा करता है, में मूल/विस्तारित वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ तिथि (डीसीसीओ) में विस्तार सहित एक समाधान योजना लागू की जाती है, तो ऐसे खाते का आस्ति वर्गीकरण 'मानक' बना रहेगा, बशर्ते कि प्रस्तावित समाधान योजना प्रारंभ से ही निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती हो:
 (1) अनुमेय डीसीसीओ आस्थगन – मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर बढ़ाया जाता है, साथ ही चुकौती अनुसूची में परिणामी बदलाव समान अथवा कम अवधि के लिए (संशोधित चुकौती अनुसूची की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि सहित) किया जाता है:

	अवसंरचना परियोजनाएँ	**गैर-अवसंरचना परियोजनाएँ (जिसमें सीआरई और सीआरई- आरएच शामिल हैं)**
मूल डीसीसीओ से डीसीसीओ में अनुमति प्राप्त आस्थगन	3 वर्ष तक	2 वर्ष तक

स्पष्टीकरण: सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के लिए, स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों (समय-समय पर यथाअद्यतन) का अनुपालन किया जाना होगा।

(2) लागत में वृद्धि- बैंकसमाधान योजना के भाग के रूप में उपरोक्त-पैरा (1) के अनुपालन में अनुमत डीसीसीओ आस्थगन से जुड़ी लागत में वृद्धि को, निधिक कर सकता है और खाते को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जो निम्नानुसार है:

(i) मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की लागत में वृद्धि, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज शामिल नहीं है।

(ii) लागत में वृद्धि का वित्तपोषण एक वैकल्पिक ऋण सुविधा के माध्यम से किया गया हो, जिसे विशेष रूप से वित्तीय पूर्णता के समय बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया था और सुविधा के तहत आहरण तक बिना किसी अंतराल के लगातार नवीनीकृत किया गया हो।

(iii) अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में, यदि वित्तीय पूर्णता के समय वैकल्पिक ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी, अथवा स्वीकृत की गई थी लेकिन बाद में नवीनीकृत नहीं की गई, तो ऐसे अतिरिक्त वित्तपोषण पर उस प्रीमियम से अधिक दर वसूली जाएगी जो पूर्व-स्वीकृत वैकल्पिक ऋण सुविधा पर लागू होती। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण अनुबंधों में प्रारंभ से ही ऐसे वैकल्पिक ऋण सुविधा पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम का उल्लेख हो, जिसे ऐसी सुविधाओं के स्वीकृति के समय वास्तविक जोखिम आकलन के आधार पर ऊपर की ओर संशोधित किया जा सकता है।

(iv) ऋण/इक्विटी अनुपात , बाह्य क्रेडिट रेटिंग (यदि कोई हो) जैसे वित्तीय पैरामीटर अपरिवर्तित रहें अथवा ऐसी लागत वृद्धि वित्तपोषण के बाद बैंक के पक्ष में बेहतर हो जाएं।

स्पष्टीकरण: उन परियोजनाओं के लिए जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोज़र 100 करोड़ रुपये से कम है, यदि परियोजना को मूल रूप से बाह्य रूप से श्रेणी निर्धारण नहीं किया गया था, तो आंतरिक साख-निर्धारण पर विचार किया जा सकता है।

(3) *कार्यक्षेत्र और आकार में परिवर्तन*: एक परियोजना वित्त खाते, जहां परियोजना की परिधि और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के व्यय में वृद्धि होने से डीसीसीओ विस्तार आवश्यक हो जाता है, को 'मानक' वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए:

(i) मूल परियोजना के संबंध में किसी भी लागत-वृद्धि को छोड़कर, परियोजना लागत में वृद्धि मूल व्यय का 25 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।

उदाहरण I:
परियोजना की मूल लागत: 1,000 करोड़ रुपये
परियोजना की संशोधित लागत: 1,200 करोड़ रुपये
लागत में वृद्धि: 200 करोड़ रुपये (अर्थात 20%)
लागत वृद्धि का विवरण:
(ए) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन: 18%
(बी) लागत में वृद्धि: 2%

परिधि में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि केवल 180 करोड़ रुपये (18%) है। चूंकि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 25% से कम (18%) है, इसलिए कोई आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

उदाहरण II:
परियोजना की मूल लागत: 1,000 करोड़ रुपये
परियोजना की संशोधित लागत: 1,400 करोड़ रुपये
लागत में वृद्धि: 400 करोड़ रुपये (अर्थात 40%)
लागत वृद्धि का विवरण:
(ए) परिधि में परिवर्तन: 30%
(बी) लागत में वृद्धि: 10%

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 300 करोड़ रुपये (30%) है। चूंकि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 25% से अधिक (30%) है, इसलिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा।

(ii) बैंक द्वारा परिधि में वृद्धि को स्वीकृत करने और नई डीसीसीओ निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किया गया हो।

(iii) पुनः साख-निर्धारण (यदि पहले से साख-निर्धारण हुआ है) पर, नई बाह्य साख-निर्धारण पिछली बाह्य साख-निर्धारण से एक स्तर (नॉच) से अधिक नीचे न हो।

बशर्ते कि यदि परिधि अथवा आकार में वृद्धि के समय परियोजना ऋण का साख-निर्दारण नहीं किया गया था, तो उन परियोजनाओं के मामले में जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोज़र 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है, कार्यक्षेत्र अथवा आकार में ऐसी वृद्धि पर इसे बाह्य रूप से निवेश ग्रेड का साख-निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा।

114. 'कार्यक्षेत्र में परिवर्तन' के कारण मानक आस्ति वर्गीकरण का लाभ केवल परियोजना के समय में एक बार ही अनुमति दी जाएगी।

115. पैरा 113 में विनिर्दिष्ट सभी मामलों में, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, समीक्षा अवधि की समाप्ति से 180 दिनों की समाप्ति से पहले सभी ऋणदाताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

(1) समझौते के निष्पादन, ऋणदाता और उधारीकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों का, सुरक्षा प्रभार का सृजन, अथवा प्रतिभूतियों का परिशोधन सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़ीकरण, लागू की जा रही समाधान योजना के अनुरूप पूरा कर लिया गया हो;

(2) नई पूंजी संरचना और/अथवा वित्तपोषण समझौते में हुए परिवर्तन ऋणदाता और उधारीकर्ता दोनों की बही-खातों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो गए हों।

116. यदि पैरा 113 और/अथवा 115 के अनुसार डीसीसीओ में परिवर्तन शामिल करने वाली समाधान योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं की जाती है, तो खाते को तुरंत एनपीए में स्तर कम कर दिया जाएगा।

117. पैरा 113 के अनुपालन में विफलता के कारण एनपीए में डाउनग्रेड किए गए परियोजना वित्त खाते को केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब खाते ने वास्तविक डीसीसीओ के बाद संतोषजनक प्रदर्शन किया हो।

स्पष्टीकरण: इस मामले में पैरा 6(14) में परिभाषित संतोषजनक निष्पादन लागू होगा।

118. उप-पैरा 115 के अनुपालन में विफलता के कारण एनपीए में डाउनग्रेड किए गए परियोजना वित्त खाते को समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन पर अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते डीसीसीओ में आस्थगन के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त न हुआ हो।

119. मूल/विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार वाली समाधान योजनाओं वाले परियोजना वित्त खातों के संबंध में आय का निर्धारण निम्नानुसार होगा:

(1) एक बैंक उन परियोजना वित्त एक्सपोज़र के संबंध में, जिन्हें 'मानक' वर्गीकृत किया गया है, उपचय आधार पर आय की पहचान कर सकता है।

(2) एनपीए के लिए, आय की पहचान '[भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025]' में निहित निर्देशों के अनुसार होगी।

120. जिन खातों ने पैरा 113 से 116 के अनुसार डीसीसीओ (वाणिज्यिक संचालन आरंभ की तारीख) में आस्थगन का लाभ उठाया है और उन्हें 'मानक' वर्गीकृत किया गया है, ऐसे खातों के लिए बैंक को आस्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए, [भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025] में विनिर्दिष्ट लागू मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त, अवसंरचना परियोजना ऋणों के लिए 0.375% और गैर-अवसंरचना परियोजना ऋणों (जिसमें सीआरई शामिल हैं) के लिए 0.5625% का अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखना होगा।

व्याख्याएं :

अवसंरचना परियोजनाएं	**गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)**
व्याख्या III: निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2026	*व्याख्या IV:* निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2026

बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 3.750 करोड़ रुपये	बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 5.625 करोड़ रुपये
व्याख्या V: निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2027 बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 18.750 करोड़ रुपये	*व्याख्या VI:* निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2027 बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 28.125 करोड़ रुपये
व्याख्या VII: निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2027 आस्ति वर्गीकरण – एनपीए बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 150 करोड़ रुपये	*व्याख्या VIII:* निधिक बकाया राशि: 1,000 करोड़ रुपये मूल डीसीसीओ: 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ: 01 अप्रैल, 2027 आस्ति वर्गीकरण – एनपीए बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट प्रावधान की राशि: 150 करोड़ रुपये

121. पैरा 120 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत होने पर वापस ले लिया जाएगा।

122. पैरा 120 में वर्णित प्रावधान उन मौजूदा परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जो पैरा 104 में निर्दिष्ट हैं। ऐसी परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान के उद्देश्य से 1 अक्तूबर, 2025 से पहले प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश लागू रहेंगे। अन्यथा, पुराने दिशा-निर्देश निरस्त माने जाएंगे।

123. पैरा 122 के अनुदेशों के बावजूद, यदि ऐसी मौजूदा परियोजनाओं में किसी नए क्रेडिट मामला का समाधान होता है और/अथवा ऋण अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों और स्थितियों में बदलाव होता है, तो पैरा 120 में वर्णित प्रावधान इन परियोजनाओं पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि इन्हें 1 अक्तूबर, 2025 अथवाा उसके बाद स्वीकृत किया गया हो।

124. 'मानक' (निर्माण अथवा परिचालन चरण) अथवा एनपीए के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान, 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025' में निहित वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा।

अध्याय VII: सरकारी ऋण राहत योजनाएं

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं के संबंध में विवेकपूर्ण निरूपण(डीआरएस):

125. बैंक, मौजूदा विनियामक मानदंडों के अधीन रहते हुए, अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर किसी सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशिष्ट डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है।

126. योजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव: डीआरएस के डिजाइन तैयार करने के दौरान परामर्श चरण में, यदि योजना का कोई भी प्रावधान उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में अथवा सावधानीपूर्ण कारणों से संशोधन की मांग करता है, तो इसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है।

127. बैंक को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना होगा कि डीआरएस के तहत बकाया राशियों के निपटान तक उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी बही-खातों में अंततः कितनी बकाया राशि क्रिस्टलाइज होगी। इसमें बकाया ब्याज शामिल होगा जो अनर्जक खातों में जमा हुआ है। यह निर्धारण सरकार को वित्तीय भागीदारी की सीमा की उचित व्यवस्था करने में सक्षम बनाएगा।

128. बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के कड़ाई से अनुपालन में किया जाए, ताकि तकनीकी आधारों पर बाद में प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृति से बचा जा सके।

129. प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ लेने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति लेते समय, योजना की नियम और शर्तों तथा सावधानीपूर्ण पहलुओं जैसे कि नया ऋण देने के लिए 'विराम अवधि, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि को उधारकर्ता को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए।

130. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में, बैंक द्वारा उपचित लेकिन अप्राप्त ब्याज और/अथवा मूलधन के त्याग की कोई भी छूट अथवा योजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में अथवा इसके उपरांत यह समझौता निपटान के रूप में माना जाएगा और पैरा 87-102 में निहित विवेकपूर्ण उपाय लागूहोंगे।

131.यदि बैंक द्वारा डीआरएस के भाग के रूप में प्राप्त निधि उधारकर्ता के सभी बकाया,मूलधन और बैंक द्वारा निधि प्राप्त होने की तारीख तक जमा ब्याज सहित, को कवर कर लेती है, तो इससे उधारकर्ता की ऋण देनदारियां समाप्त हो जाएंगी।

132. यदि योजना के भाग के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त निधि उधारकर्ता के कुल बकाया को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप रेसिडुअल एक्सपोज़र (मूलधन और/अथवा उपचित ब्याज) शेष रह जाता है, तो अवशिष्ट एक्सपोज़र का आस्ति वर्गीकरण मूल ऋण अनुबंध की नियम और शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध की नियम और शर्तों में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का मूल्यांकन इन दिशा-निर्देशों में परिभाषित पुनर्गठन के परीक्षण के समक्ष किया जाएगा और इस पर उसमें निहित विवेकपूर्ण उपाय लागू होगा।

133. ऐसे उधारकर्ताओं को कोई भी नया ऋण एक्सपोज़र, लागू विनियमों के अधीन रहते हुए, बैंक की सुसंगत आंतरिक नीति के तहत उसके वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा।

134. योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक की क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाएगी।

135. डीआरएस के कारण सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्य सृजित नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा निधि प्राप्त होने तक एक्सपोज़र उधारकर्ता पर ही बना रहेगा।

136. निधि प्राप्त होने तक, बैंक सावधानीपूर्ण मानदंडों जैसे आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान को लागू करता रहेगा। जहां खाते अनर्जक हैं, वहां बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध वसूली उपाय जारी रख सकता है।

137. पैरा 125-136 में निहित अनुदेश 31 दिसंबर, 2024 को अथवा उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगें और इन निदेश में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर दिए गए अनुदेशों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

138. इन अनुदेशों के संदर्भ में, हितधारकों (सरकार, ऋणदाता, उधारकर्ता आदि) की अपेक्षाओं में किसी भी विसंगति से बचने के लिए, एक मॉडल परिचालन प्रक्रिया भी राज्य सरकारों के विचार के लिए साझा की गई है (अनुबंध में), ताकि वे ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय परामर्शी दृष्टिकोण अपनाएं।

139. 31 दिसंबर, 2024 से पूर्व घोषित राहत उपायों के संबंध में, यदि सरकार से प्राप्त होने वाली कोई बकाया राशि 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहती है, तो उस पर 100% का विशिष्ट प्रावधान करना होगा।

140. बकाया निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई: बैंक को पैराग्राफ 139 में उल्लिखित देय राशियों के निपटान के लिए संबंधित सरकारों के साथ आवश्यक कार्रवाई और सक्रिय अनुवर्तन करना चाहिए।

अध्याय VIII: पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का विवेकपूर्ण निरूपण

ए. पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का आस्ति वर्गीकरण

141. यह पैरा उन मामलों पर लागू होता है जहाँ पुनर्गठन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उधारीकर्ता द्वारा जारी नई प्रतिभूतियां सृजित होती हैं, जिन्हें बैंक पुनर्गठन से पूर्व के एक्सपोज़र के एक भाग के बदले अपने पास रखता है।

142. मूलधन/बकाया ब्याज के परिवर्तन से सृजित निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल), ऋण, अथवा इक्विटी साधनों को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें मूल पुनर्गठित अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है।

143. एफआईटीएल, ऋण अथवा इक्विटी साधनों के आस्ति वर्गीकरण में भविष्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन का निर्धारण भी पुनर्गठित अग्रिम के बाद के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर ही किया जाएगा।

बी. पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों के संबंध में प्रावधान

144. ऐसे लिखत पर लागू प्रावधान निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, वह होगा:

(1) उस आस्ति वर्गीकरण श्रेणी पर लागू प्रावधान जिसमें बैंक ने ऐसे लिखतों को रखा है; अथवा
(2) पैरा 145-153 में प्रदत्त ऐसे लिखतों के उचित मूल्यांकन के आधार पर लागू प्रावधान।

सी. पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों का मूल्यांकन

145. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से उत्पन्न साधनों के मूल्यांकन का मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि यह उधारीकर्ता की दबावग्रस्त नकदी प्रवाह को दर्शाने के लिए नकदी प्रवाह के संतुलित आकलन और उपयुक्त बट्टा दरों पर आधारित हो।

146. सांविधिक लेखापरीक्षकों को यह विशेष रूप से जांचना चाहिए कि क्या ऐसे लिखतों का मूल्यांकन उनसे जुड़े हानि के जोखिम को सही ढंग से दर्शाता है।

147. ऋण/क्वासी-ऋण/इक्विटी साधनों और डिबेंचर/बॉन्ड्स पर भारिबैं. के('वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 लागू होंगे, जब तक कि वह इन निदेशों के असंगत न हों।

148. डिबेंचर/बांड का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

149. समाधान योजना के भाग के रूप में ऋण का शून्य कूपन बांड (ज़ेडसीबी) / कम कूपन बांड (एलसीबी) में परिवर्तन और ऐसे लिखतों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निर्धारित किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

(1) यदि उधारकर्ता उक्त निदेशों के तहत आवश्यक ऋण शोधन निधि बनाने में विफल रहता है, तो ऐसे उधारीकर्ता के ज़ेडसीबी/एलसीबी का सामूहिक मूल्य ₹1 होगा।

(2) जिन लिखतों का कोई पूर्व-निर्धारित अंतिम मूल्य नहीं है, उनका भी सामूहिक मूल्य ₹1 होगा।

150. यदि इक्विटी को मानक वर्गीकृत किया गया है, तो इसका मूल्यांकन बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत हो, किया जाएगा। यदि उद्धृत नहीं है, तो निम्नलिखित दो विधियों से प्राप्त निम्नतम मूल्य पर मूल्यांकन किया जाएगा:

(1) कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य ('पुनर्मूल्यांकित आरक्षित' को छोड़कर,यदि कोई)जिसे निर्धारित किया जाना है। जिस तारीख को नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया गया है,वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक मूल्य ₹1 प्रति कंपनी होगा।

(2) छूट दी गई नकदी प्रवाह पद्धति, जिसमें छूट कारक पुनर्गठन के बाद शेष ऋण पर उधारकर्ता से वसूला जाने वाला वास्तविक ब्याज दर प्लस इक्विटी के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाने वाला जोखिम प्रीमियम होगा। जोखिम प्रीमियम न्यूनतम तीन प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा और समग्र छूट कारक न्यूनतम 14 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, केवल परियोजना की उपयोगी आर्थिक अवधि के 85 प्रतिशत के भीतर होने वाले नकदी प्रवाह (वर्तमान स्तर से उपलब्ध नकदी प्रवाह तथा तत्काल भावी (छह माह से अधिक नहीं) परिचालन स्तर) को ही गणना में लिया जाएगा।

151. यदि इक्विटी को 'एनपीए' वर्गीकृत किया गया है, तो इसका मूल्यांकन बाजार मूल्य परयदि उद्धृत हो किया जाएगा। यदि उद्धृत नहीं है, तो इसका सामूहिक मूल्य ₹1 होगा।

152. अधिमान शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा, जो निम्नलिखित संशोधनों के अधीन होगा:

(1) छूट दर पुनर्गठन के बाद शेष ऋण पर उधारकर्ता से वसूली गई वास्तविक ब्याज दर के भारित औसत और उस पर 1.5 प्रतिशत के मार्क-अप के योग के बराबर अथवा उससे अधिक होगी अर्थात इसके लिए न्यूनतम सीमा लागू होगी।

(2) जहाँ अधिमान लाभांश/कूपन बकाया हों, वहाँ अर्जित लाभांश/कूपन के लिए कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य में यदि बकाया एक वर्ष का है तो कम से कम 15 प्रतिशत, यदि दो वर्ष का है तो 25 प्रतिशत की अतिरिक्तऔर इसी प्रकार आगे भी (अर्थात प्रत्येक वर्ष की वृद्धि पर दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ) छूट दी जाएगी।

153. यदि बैंक ने समाधान योजना के भाग के रूप में ऋण के परिवर्तन से गैर-उद्धृत लिखत अधिग्रहित किए हैं, और यदि उस योजना को लागू नहीं माना जाता है, तो जब तक योजना को लागू नहीं माना जाता, तब तक ऐसे साधनों का सामूहिक मूल्य ₹1 होगा।

डी. पुनर्गठन के भाग के रूप में अधिग्रहीत साधनों से आय का निर्धारण

154. एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय के लिए एक खाता 'विविध देनदारियां खाता (ब्याज पूंजीकरण)' शीर्षक से खोला जाएगा और उसमें जमा किया जाएगा।

155. अप्राप्त आय को केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा सकती है:

(1) एफआईटीएल/ऋण साधन: केवल बिक्री या मोचन पर।

(2) गैर-उद्धृत इक्विटी/उद्धृत इक्विटी (जो एनपीए है): केवल बिक्री पर।

(3) उद्धृत इक्विटी (जो मानक के रूप में वर्गीकृत है): उन्नयन की तारीख को इक्विटी का बाजार मूल्य, लेकिन यह राशि उस अप्राप्त आय से अधिक नहीं हो सकती जिसे ऐसी इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। इक्विटी के मूल्य में बाद के परिवर्तन का निपटान भारिबैं. के निवेश पोर्टफोलियो दिशा-निदेशों, 2025 के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय IX: विनियामकीय छूट

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों से छूट

156. ऋण के परिवर्तन के माध्यम से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को, गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर लगाए गए भारिबैं. द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और विवेकपूर्ण सीमा से छूट प्राप्त होगी।

157. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोज़र, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश, अंतर-समूह एक्सपोज़र पर विनियामक सीमाओं/प्रतिबंधों से छूट प्राप्त होगी:

158. पैरा 157 के बावजूद, ऐसे अधिग्रहण के लिए बैंक को प्रत्येक माह भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को नियमित आस्ति गुणवत्ता से संबंधित बैपवि विवरणी के साथ इसकी रिपोर्ट करनी होगी और बैंक द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण करना होगा।

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट

159. सेबी ने कुछ शर्तों के तहत, भारिबैं. द्वारा जारी विनियमों के अनुसार किए गए पुनर्गठन के लिए, सेबी(पूंजी का निर्गमनऔर प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की है।

160. आईसीडीआर विनियम, 2018 के उप-विनियम 158(6)(ए) की आवश्यकताओं के संदर्भ में, इक्विटी का जारी मूल्य निम्नलिखित दो में से जो भी कम हो, वह होगा:

(1) 'संदर्भ तिथि' से पूर्व 26 सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किए गए संबंधित इक्विटी शेयरों की साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा भारित औसत कीमत का औसत; अथवा 'संदर्भ तिथि' से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किए गए संबंधित इक्विटी शेयरों की साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा भारित औसत कीमत का औसत।

(2) बही मूल्य: प्रति शेयर बही मूल्य की गणना नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से की जाएगी (यदि कोई हो, तो 'पुनर्मूल्यांकित आरक्षितत' को छोड़कर)। इसे किसी भी पूर्व पुनर्गठन के बाद के नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति के लिए समायोजित किया जाएगा। नवीनतम तुलनपत्र की तारीख पुनर्गठन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक मूल्य ₹1 प्रति कंपनी माना जाएगा।

161. ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के मामले में 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस पर बैंक ने पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है। परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से इक्विटी में परिवर्तन के मामले में 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस पर बैंक ने परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इक्विटी में परिवर्तन को मंजूरी दी है।

अध्याय X: विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

162. वैश्विक चुनौतियों/प्रतिकूलताएं के कारण होने वाले व्यापारिक व्यवधानों से उत्पन्न ऋण चुकौती भार को कम करने और व्यवहार्य कारोबारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय प्रदान कर सकते हैं। यह उपाय 'भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025' (दिनांक 14 नवंबर, 2025) के तहत निर्दिष्ट हैं। इन निदेशों में अन्य के साथ इन उपायों के लिए एक परिभाषित सावधि विधि-खंड (सनसेट क्लॉज) शामिल है।

अध्याय XI: निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

163. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वाणिज्यिक बैंकों पर लागू 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान' से संबंधित मौजूदा सभी निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त माने जाएंगे, जैसाकि परिपत्र विव.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26, दिनांक 28 नवंबर, 2025 द्वारा सूचित किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश द्वारा पूर्व में निरस्त किए गए कोई भी निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त बने रहेंगे।

164. निरसन के बावजूद, निरसित निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के तहत की गई अथवा किए जाने का दावा की गई अथवा आरंभ की गई किसी भी कार्रवाई पर तत्संबंधी प्रावधान लागू होते रहेंगे। इन निरसित सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा स्वीकृतियां इन निदेशों के तहत प्रदत्त मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा:

(1) तत्संबंधी अर्जित, प्राप्त अथवा उद्‌भूत कोई अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

(2) तत्संबंधी किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, जब्ती अथवा दंड;

(3) उक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती अथवा दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय; और ऐसी किसी भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय को इस प्रकार आरंभ, जारी अथवा लागू किया जा सकेगा और ऐसे किसी भी जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकेगा मानो उन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरसित नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का लागू होना बाधित नहीं

165. इन निदेशों के प्रावधान अन्य इस समय लागू कानूनों, नियमों, विनियमों अथवानिदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर अथवा उनके विरोध में।

सी. व्याख्याएं

166. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने अथवा उनकी व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक आवश्यक पाए जाने पर स्पष्टीकरण जारी कर सकता हैऔर रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई कोई भी व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)

कवरेज और अर्थ

1. 'ऋण राहत योजनाएं' (डीआरएस) उन योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और जिनमें वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा उधारकर्ताओं के एक विशिष्ट वर्ग के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए निधि प्रदान की जाती है, जिसके लिए विनियमित संस्थाओं (बैंकों) को अपनी बकाया राशि में त्याग//माफी करनी पड़ती है।

2. किसी भी ऐसे ऋण राहत योजना (डीआरएस) की घोषणा/अधिसूचना में उस विशिष्ट दबाव अथवा संकट की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए जिसके कारण ऐसे समर्थन की घोषणा करना आवश्यक हुआ है। ऋण प्रयोजनो पर ऐसे डीआरएस के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, जबकि व्यापक आधार वाली राहत उपायों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में शुद्ध राजकोषीय समर्थन के माध्यम से हल किया जा सकता है, डीआरएस पर विचार केवल एक अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जब वित्तीय दबाव को कम करने के अन्य उपाय विफल रहे हों।

अधिसूचना पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित कार्य योजना विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ संवाद कर सकती हैं। इन योजनाओं में योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि उधारकर्ताओं की पहचान, प्रभाव आकलन, कार्यान्वयन समयसीमा और उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा सरकार को देय राशियों के निपटान से संबंधित मुद्दों के समाधान आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
4. डिजाइन की विशेषताएं यह सुनिश्चित करें कि डीआरएस क्षेत्र/राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करें अथवा उधारकर्ता खंडों में नैतिक खतरे पैदा न करें। ऋण निपटान, क्रेडिट जानकारी कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना कानिधीयन

5. किसी भी प्रस्तावित डीआरएस कोआवश्यक निपटान राशियों को पूरी तरह से कवर करने के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान/वित्तपोषण पूर्व-निर्धारित रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहाँ विनियमित संस्थाओं का सरकार से पूर्ववर्ती डीआरएस योजनाओं से संबंधित देय बकाया है, वहीं नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णतः पूर्व-निधिक आधार पर ही की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस योजना केवल प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए होनी चाहिए और इसमें समय पर चुकौती करने वालों के विरुद्ध कोई प्रतिबंधात्मक खंड नहीं होना चाहिए। पात्र उधारकर्ताओं को निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड होने चाहिएदाखिल करने, स्वीकृति और निपटान की अंतिम तारीखों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समयसीमा निर्धारित होनी चाहिए, सरकार द्वारा धनराशि के निपटान में देरी होने पर मुआवजा खंड भी होने चाहिए।
7. ऋण राहत योजना में शामिल किए जा रहे उधारकर्ताओं की सभी बकाया देयताओं, जिसमें सरकार से विनियमित संस्थाओं द्वारा धन राशि प्राप्त होने की तारीख तक का मूलधन और संचित ब्याज शामिल है, को कवर किया जाना चाहिए।

8. योजना के तहत विनियमित संस्था की बही में सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्ति नहीं बननी चाहिए। उधारकर्ता के विरुद्ध एक्सपोज़र तब तक बना रहेगा जब तक सरकार से निधि प्राप्त नहीं हो जाती, जिसके बाद इसे कम किया जाएगा।
9. योजना के पूरे कार्यान्वयन और सरकार द्वारा बैंकों को दावों के निपटान को सामान्यतः 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
10. डीआरएस योजना में भारिबैं अथवा नाबार्ड द्वारा जारी किसी भी विनियामक अनुदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।
11. डीआरएस के डिजाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निम्नलिखित के लिए बाध्य करे:

    (ए) उधारकर्ता से अपने बकाया का कुछ अअथवा पूरा भाग माफ करना/त्यागना।

    (बी) जिन उधारकर्ताओं का ऋण माफ किया गया है, उन्हें नया ऋण देना।

    (सी) भविष्य के बजटीय समर्थन की उम्मीद में कोई प्रतिबद्धता करना।

    (डी) सरकार से निधि प्राप्त होने की प्रतीक्षा में बकाया वसूली के लिए उपलब्ध विधिक उपायों का अपनाना बंद करना।

तथपि, यदि विनियमित संस्थाएं अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार डीआरएस के डिजाइन के समय अथवा बाद में उपरोक्त में से किसी बात के लिए सहमत होती हैं, तो यह लागू विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।